


राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(16)नविवि / नियम / 2021

जयपुर, दिनांक:— 11 अगस्त, 2021

### अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप-नियम (2) एवं नियम 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल सुविधाओं को और सुदृढ़ किये जाने एवं भविष्य में आपदा की स्थिति में राज्य में आमजन हेतु उचित मेडिकल सुविधा/रांसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत मेडिकल संरथान यथा गल्टी-रपेशियलिटी हॉस्पीटल, मेडिकल कॉलेज, डिर्पेंसरी (एलोपैथी/आयुर्वेद/प्राकृतिक/होम्योपैथी/यूनानी) के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन देय प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
  
(मनीष श्रीवाल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, रथानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन गण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को राजपत्र में प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम